निर्णय ब इजलास अन्तर सिह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 126/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. सीताराम पुत्र श्री नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम बिलोद, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री विश्वामित्र मीणा आर ए एस उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. रामफूल पुत्र भगवान
3. रामस्वरूप पुत्र भगवान
4. राजू पुत्र भगवान
5. नैना देवी पत्नी भगवान
6. मूली देवी पुत्री भगवान
7. धन्ना पुत्र प्रभात
8. रामकुंवार पुत्र प्रभात

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम बिलोद, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 26/2020 ब उनवानी कमली बनाम सरकार को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत ।

उपस्थितः—

1. श्री नेमीचन्द जलवानियां अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री कान्ता प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 25.02.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 26/2020 ब उनवानी कमली बनाम सरकार विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 की ओर से वकील श्री कान्ता प्रसाद शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 07.08.2020 को न्यायालय के रीडर का करीब दो बजे प्रार्थी के पास फोन आया और उन्होंने उक्त पत्रावली में सुनवाई करने हेतु अधिवक्ता को कोर्ट में बुलाया जिस पर प्रार्थी व

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रार्थी के अधिवक्ता कोर्ट में गये तब रीडर ने सुनवाई के लिए चैम्बर में जाने के लिए कहा तो प्रार्थी अपने अधिवक्ता के साथ पीठासीन अधिकारी के पास उनके चैम्बर में गया। जहां पर पहले से ही बैठे हुये प्रार्थी रामफूल व उनके अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण की ओर से प्रोपर्टी डीलर जिसका नाम प्रार्थी नहीं जानता बैठे हुये थे तथा वह प्रोपर्टी डीलर उक्त पत्रावली को पीठासीन अधिकारी को बता रहा था और जैसे ही प्रार्थी एवं उसके अधिवक्ता चैम्बर में गये तो पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी के अधिवक्ता को कहा कि इसमे बहस कर लो, तहसीलदार की रिपोर्ट आ गयी है। उक्त पत्रावली रिमाण्ड हो कर आई हुई है तथा तहसीलदार जी की रिपोर्ट पत्रावली में पहले से ही पेश की हुई है। दोनों पक्षों को सुन कर अर्थात अप्रार्थीगण का जबाब लेकर अग्रिम कार्यवाही की जाना आवश्यक है, परन्तु पीठासीन अधिकारी जी अन्तिम बहस सुनाने के लिए अधिवक्ता पर जोर देने लगे तथा अप्रार्थीगण भी इस बात पर तुल गये कि पत्रावली सम्पूर्ण है और अन्तिम बहस सुन ली जावे। प्रार्थी के अधिवक्ता ने इस बात पर आपत्ति दर्ज भी करवाई कि तहसीलदार की दुबारा रिपोर्ट किसी आदेश से ओर क्यों मंगवाई गई और रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किये बिना किस निर्देशन के तहसीलदार जी ने रिपोर्ट दुबारा क्यों दी है जबकि ऐसा पत्रावली की आदेशिका पर कहीं नहीं है, ना ही तो रिपोर्ट मंगवाने का हवाला और ना ही रिपोर्ट प्राप्त होने का कोई हवाला आदेशिका पर है तथा अधिवक्ता ने यह भी बताया कि अप्रार्थीगण ने बाला बाला ही तहसीलदार से अपने मन मुताबिक रिपोर्ट बिना पक्षकारों की जानकारी के एवं बिना पक्षकारों को बुलाये तैयार करवार कर स्वयं तहसीलदार ने लेकर न्यायालय में बिना रिकार्ड मेन्टन किये पेश कर दी है और इस बाबत अदेशिका में कोई हवाला नही दिया गया। जब पत्रावली सम्पूर्ण देखी गई तब प्रार्थी के अधिवक्ता को इस बात की जानकारी हुई एवं ना ही संशोधित उनवान पेश किया गया और ना ही जबाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। इसके बाद अन्य आपत्तियों पर बिना गौर किये पीठासीन अधिकारी ने पत्रावली में संशोधित उनवान पेश करने का आदेश देते हुये कहा कि अग्रिम सुनवाई को प्रकरण को फाईनल सुना देना। अप्रार्थी रामफूल ने इसके बाद गांव में आकर प्रार्थी को दिनांक 08.08.2020 को बताया कि मै जमीनों के एक दलाल को लेकर पीठासीन अधिकारी से मिला था, जो कि पीठासीन अधिकारी का मिलने वाला है और उसी ने मेरी बात चैम्बर में बैठ कर पीठासीन अधिकारी से करवा दी है और अब उक्त पत्रावली का फैसला हम हमारे पक्ष मे करवा लेंगे इसके बाद प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय की आशा नहीं है एवं प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया कि उक्त पीठासीन अधिकारी जी के यहां पर उक्त प्रकरण में निष्पक्ष रूप से फैसला होने की सम्भावना नहीं है। इसलिए उक्त प्रत्रावली को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित करने हेतु प्रार्थी ने श्रीमान के समक्ष एक मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र मुकदमा संख्या 59/2020 उनवानी सीताराम बनाम उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ पेश किया था जो दिनांक को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारिज फरमा दिया गया। कोविड–19 के कारण प्रार्थी के अधिवक्ता न्यायालय कक्ष मे नहीं गये और रीडर से पूछने पर रीडर ने तारीख पेशी देने का कहा था, परन्तु बाद में प्रकरण को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारित कर दिया गया। कोविड 19 के चलते अन्य किसी प्रकरणो में अदम हाजरी में प्रकरण खारिज नहीं किये गये, परन्तु प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तारीख पेशी 18.12.2020 से 22.12.202 व 24.12.2020 दी गई तथा प्रकरण को जल्दबाजी में निस्तारण करने की नंशा से उक्त प्रकरणं मे छोटी छोटी तारीख दी जा रही है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त प्रकरण को

जिला कलक्टर
जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थी के आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि उत्तरदाता रामफूल का पठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठे होने का कथन अस्वीकार है तथा किसी प्रोपर्टी डीलर के साथ बैठे होने का कथन भी अस्वीकार है। उत्तरदाता रामफूल बी एस एफ बटालियन न॰ 96 सीमा सुरक्षा बल रामपुरा जिला फाजिलका पंजाब में पदस्थापित है तथा दिनांक 01.07.2020 से अब तक बटालियन हैड क्वार्टर रामपुरा मे डयूटी पर है इस अवधि में छुट्टी पर व गांव नही आया है। अप्रार्थी रामफूल दिनांक 08.08.2020 को गांव आया ही नहीं किसी से मिला ही नहीं बटालियान न॰ 96 सीमा सुरक्षा बल के कमाण्डेड महोदय के द्वारा दिनांक 13.11.2020 को जारी प्रमाण पत्र से स्पष्ट है कि अप्रार्थी रामफूल जुलाई 2020 से दिनांक 13.11.2020 तक अपनी नौकरी से छुट्टी ले कर नहीं आया । इसलिए पीठासीन अधिकारी से मिलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रकरण में विलम्ब करने की नियत से असत्य आधारों पर ट्रान्सफर प्रार्थना पत्र लगया गया है । इसलिए प्रार्थी के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही की जानी चाहये तथा प्रार्थना पत्र के समर्थन में झूठा शपथ पत्र पेश किया है, इसलिए प्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये। प्रार्थी पूर्व में प्रस्तुत किये गये मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर दिनांक 03.12.2020 व 08.12.2020 को बहस के लिये नहीं आया औरा प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थीना पत्र अदम हाजरी वं अदम पैरवी में खारिज फरमाव दिया। प्रार्थी ने अदम हाजरी में खारिज किये गये प्रार्थाना पत्र को रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र नहीं लगाया और जान बूझ कर नया मुन्तकिल प्रार्थना पत्र उन्हीं आधार पर पेश कर दिया, जिससे प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब हो सकें । प्रार्थी न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग कर रहा है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने पर मुख्य रूप से दो बिन्दू सामने आये है। प्रथम, उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र दिनांक 08.12.2020 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया। जिसके लिए के रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी के पास यदि कोई युक्तियुक्त कारण था, तो प्रार्थी द्वारा रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, किन्तु प्रार्थी ने ऐसा नहीं कर दिनांक 28.12.2020 को नया मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो विधिक रूप से उचित नहीं है। द्वितीय, अप्रार्थी रामफूल को दिनाक 7.08.2020 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठा होना बताया है, किन्तु रामफूल कार्यालय कमाण्डेन्ट 96, बटालियन बी एस एफ में रामपुरा पंजाब में पदस्थापित है और बी एस एफ द्वारा जारी सर्टीफिकेट दिनांक 13.11.2020 के अनुसार रामफूल मीणा ने जुलाई 2020 से 13.11.2020 तक किसी प्रकार का अवकाश नहीं लिया है। इसलिए अप्रार्थी रामफूल का दिनांक 7.08.2020 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में होने एवं दिनांक 8.8.2020 को गांव में होने बाबत प्रार्थी के कथन को बल नहीं मिलता है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष लम्बित धारा 136 एल आर एक्ट का मामला वर्ष 2011 से चल रहा है। इसलिए पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु छोटी छोटी तारीख दिया

जिला कलक्टर
जयपुर

जाना उचित है। प्रार्थी जानबूझ कर उक्त प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब करने की नियत से बार बार पीठासीन अधिकारी पर झूंठे आरोप लगा कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का आदि होना पाया गया है। ऐसा करके प्रार्थी न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग कर रहा है, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत है। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करे। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

25/2/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर